

श्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II---खण्ड 3---उप-खण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] नई विल्ली, झनिवार, फत्वरी 1, 1975/माघ 12, 1896 No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 1, 1975/MAGHA 12, 1896

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि थह ग्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 1st February 1975

G.S.R. 25(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Major Port Trusts (Amendment) Act, 1974 (29 of 1974), the Central Government hereby appoints the 1st day of February 1975 as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. PGL-19/74]

नौवहन ग्रौर परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

ग्रधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1975

सा० का० नि०25 (झ). — केन्द्रीय सरकार, महा पत्तन न्यास (संगोधन) ब्रुधिनियम, 1974 (1974 का 29) की घारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त गर्कितयो का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरी, 1975 को उस सारीख के रूप में नियत करती है जिसकों उक्त ग्रधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सं० फा० पी० जी० एस०~19 / 74]

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby specifies the 1st day of February, 1975 as the date on and from which the provision of the said Act shall apply to the Major Ports of Bombay, Calcutta and Madras.

[No. F. PGL-18/74]

सा० का० जि० 26 (ग्न).--केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास ग्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 1 को उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 फरवरो, 1975 को उस तारीख के रुप में नियत करती है जिसको ग्रौर जिससे उक्त ग्रधिनियम के उपधन्ध मुम्बई, कलकत्ता ग्रौर भदास के महा पत्तनों को लाग होंगे।

[सं० फा० पो० जो० एस० 18 / 74]

G.S.R. 27(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Bombay (Procedure at Board Meetings) Rules, 1974 was published as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 2101—2104 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 6th November, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 451(E), dated the 6th November, 1974, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of fortyfive days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

AND WHEREAS the said Gazette was made available to the public on the 11th November, 1974;

AND WHEREAS no objections and suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby make the following rules, namely:—

1. Short title and application -(1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Bombay (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975.

(2) They shall, subject to the provisions of section 16 of the Act, apply to the business transacted at the meetings of the Board of Trustees of the port of Bombay.

2. Frequency of meetings.—(1) A meeting of the Board shall be held at least once in every month.

(2) The Board shall from time to time determine the place, dated and time of its meeting:

Provided that where the Board is unable to do so for any reason, the Chairman may do so for reasons to be recorded in writing.

3. Calling of special meetings.—The Chairman or in his absence Deputy Chairman if appointed may, whenever he thinks fit, and shall upon the written request of not less than three Trustees, call a special meeting.

4. Circulation of agenda etc.—Agenda and notes or memoranda thereon, if any, for any meeting of the Board shall be circulated to the Trustees atleast three days before the date of the meeting:

Provided that in the case of a special meeting, such Agenda and notes or memoranda thereon shall be circulated atleast one day before the date of the meeting.

5. Discussion of items not included in the agenda.—The Chairman or in his absence Deputy Chairman, if appointed may, at his discretion, include for discussion at any of the meetings of the Board, including a special meeting, any item not included in the agenda if the same is, in his opinion, of sufficient importance or urgency or both and cannot be held over for the consideration of the Board at any subsequent meeting.

6. **Poll.**—If a poll is demanded on any question, the names of the Trustees voting and the nature of their votes shall be recorded by the President of the meeting.

7. Minutes of the meeting.—(1) Minutes of the proceedings at each meeting of the Board shall be recorded in a book to be provided by the Board for this purpose, which shall be signed as soon as practicable by the President of such meeting and shall be open to inspection by any Trustee during office hours.

(2) Minutes of the proceedings excepting such portion thereof as the Chairman or, in his absence Deputy Chairman, if appointed, may direct in any particular case, shall also be open to the inspection of the public at the office of the Board during office hours.

(3) The names of the Trustees present at each meeting shall be recorded in the minutes book.

Explanation.-For the purposes of this rule and rule 5, the expression "President" shall mean the Chairman or. in his absence the Deputy Chairman, if appointed, and in the absence of both, any person chosen by the Trustees present from among themselves.

8. Adjournment of meetings.—The President of a meeting may, with its consent, adjourn it to a later dated which shall either be announced at the meeting or communicated to the Trustees at least three days before the date of the meeting.

[No. F. PGL-5/74]

सा० का० नि० 27 (झ). — यतः मुम्बई पत्तन न्यासी बौडें (बोर्ड के अधिवेशनों के लिये प्रक्रिया) नियम, 1974 का प्रारुप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 451 (छ) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के अधीन भारत के राज-पत, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (1) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के पृष्ठ 2101-2104 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से पतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है,

श्रौर यतः राजपत 11 नवम्बर, 1974 को जनता को उपलब्ध कराया गया था,

श्रौर यतः जनता से कोई श्राक्षेप श्रौर सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं,

अत., अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रर्थातु:----

ा. संक्षिप्त नाम ग्रीर लागू होगा.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के ग्रधिवेशनों के लिये प्रक्रिया) नियम, 1975 है।

(2) ये प्रधिनियम की धारा 16 के उपबन्धों के प्रधीन रहते हुए मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड के प्रधिवेधनों में किये गये कारबार को लागू होंगे।

2. **ग्रथिवेशमों की ग्रायुलि.**~-(1) वोर्ड का ग्रधिवेशन प्रत्येक मास में कम से कम **एक दार होगां** ।

(2) बोर्ड समय– समय पर ग्रपने ग्रधिवेशन का स्थान, तारीख श्रौर समय श्रवधारित करेगाः :

परन्सु जहां किसी कॉरणवया बोर्ड ऐसा करने में ग्रसमर्थ है, वहां उसके लिये जो कारण ई उन्हें लेखवद्ध करके ग्रध्यक्ष ऐसा कर सक्षेगा। 3. विशेष भाषिवेशनों का बुलाया जाना — प्रध्यक्ष या उसकी भ्रनुपस्थिति में उपाध्यक्ष यदि नियुक्त किया गया हो, जब कभी वह प्रावश्यक समझे, विशेष श्रधिवेंशन बुला सकेगा श्रौर कम से कम तीन न्यासियों के लिखित श्रनरोध पर वह ऐसा करेगा।

4. कार्यसूची झावि का परिचालन — बोर्ड के किसी अधिवेगन के लिये कार्यसूची और उसपर टिप्पण या झापन यदि कोई हों, ग्रधिवेगन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व न्यासियों को परिचालित किये जाएगे :--

परन्तु विशेष म्रधिवेशन की दशा में ऐसी कार्यसूची श्रीर टिप्पणी या झापन, म्रधिवेशन की सारीख से कम से कम एक दिन पूर्व परिचालित किये जायेंगे :

5. उन मधों पर विचार-ांवमर्श जो कार्यपूची में सम्मिलित नहीं हैं ---- प्रध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, स्वविजेकानुसार, बोर्ड के अधिवेशनों में से, जिसमें विशेष अधिवेशन भी सम्मिलित हैं, किसी भी अधिवेशन में विचार--विमर्श के लिये कार्य सूची में सम्मिलिति नहीं की गई किसी मद को उस देशा में सम्मिलित कर सकेगा जबकि वह उसकी राय में पर्याप्त महत्व की है या अति आवश्यक है अथवा दोनो ही हैं और उसे किसी पश्चातुवर्ती अधिवेशन में बोर्ड के विचारार्थ रोका नहीं जा सकता है।

6. मतबान.— यदि किसी प्रश्न पर मतदान की मांग की जाती है, तो मत देने वाले न्यासियों के नाम तथा उनके मतों की प्रकृति ग्राधिवेशन के समापति द्वारा अभिलिखित की जाएगी ।

7. ग्राधिवज्ञान के कार्यवृत्त ---- (1) बोर्ड के प्रत्येक ग्राधिवेज्ञन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ऐसी पुस्तक में अभिलिखित किये जाएगे जिसकी व्यवस्था बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिये की जाएगी और उन पर, यथा साध्यगीधता से, ऐसे प्रधिवेज्ञन के सभापति द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे और यह कार्यालय समय के दौरान किसी भी न्यासी के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे।

(2) कार्यंवृत, उसके ऐसे भाग को छोड़कर जिसके लिये प्रष्ट्यक्ष या उसकी अनु-पस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, किसी विधिष्ट मामले में निदेश दे, बोर्ड के कार्यालय में, कार्यालय समय के दौरान जनता के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे।

(3) प्रत्येक अधिवेशन में उपस्थित न्यासियों के नाम कार्यवृत्त पुस्तक में अधिलिखित किये जाएंगे ।

स्पच्टीकरण. — इस नियम तथा नियम 8 के प्रयोजनों के "लिये ग्राघ्यका " पद से ग्राध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष , यदि नियुक्त किया गया है, ग्रीर दोनों की ग्रानुपस्थिति मे, उपस्थित न्यासियों में से उन्हीं द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा। क्ष

8. ग्रमियेशनों का स्थगन. → ग्रधिवेशन का सभापति, उसकी सहमति से, ग्रधिवेशन ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख तक स्थगित कर सकेंगा जिसके बारे में या तो ग्रधिवेशन में ग्रास्थापित किया जाएगा या ग्रधिवेशन की तारीख से कम स कम तीन दिन पूर्व न्यासियों को संयुचित किया जाएगा ।

148

[स॰ फा॰ पी॰ जी॰ एल॰ 5/74]

G.S.R. 28(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1974 was published as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 2097—2099 of the Gazette of India Extraordinary, Part II. Section 3, Sub-section (1) dated the 6th November, 1974, under the notification of, the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 450(E), dated the 6th November, 1974, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

AND WHEREAS the said Gazette was made available to the public on 11th November, 1974;

AND WHEREAS no objections and suggestions have been received from the public:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:----

1. Short title and application.—(1) These rules may be called the Board of Trustees of the port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.

(2) They shall, subject to the provisions of section 18 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), apply to the Board of Trustees of the port of Bombay.

2. Fees payable.—Every Trustee of the Board, other than the Chairman, Deputy Chairman, or any other Trustee who is a servant of the Government, shall be entitled to a fee of.

- (i) rupees thirty for attendance at each ordinary or special meeting of the Board at which a quantum is present and business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof:
- Provided that the aggregate amount of fees payable to any Trustee in respect of the meetings held during any calendar month shall not in any case exceed rupees two hundred;
- (ii) rupees fifteen for attendance at each meeting of any committee, other than the meeting of the committee held on the same day in continuation or preparatory to, an ordinary or special meeting of the Board, at which business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof.

3. Payment of travelling allowance.—All outstation Trustees attending any meeting of the Board or any of its committees shall, in addition to such fee as is payable under rule 2, be entitled to receive travelling allowance on the scale applicable to the highest class of officers of the Central Government but shall not be entitled to receive any daily allowance.

4. Payment of certain allowances to a Trustee who is a Government servant. A Trustee who is a servant of the Government and who attends any meeting of the Board or of any of its committees shall be entitled to receive travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the service rules applicable to him.

[No. F. PGL-15/74]

सा० का० नि० 28 (ग्र). — यतः मुम्बई पत्तन न्यासी बोर्ड (न्यासियों की फीस झौर भत्तों का संदाय) नियम, 1974 का प्रारूप, महापत्तन न्यास प्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन झौर परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की श्रधिसूचना संख्या सा० का० नि० 450 (ङ) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के श्रधीन भारत के राजपत्न, ग्रसाधारण, भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (1) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के पृष्ठ 2097– 2099 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त श्रधिसूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिन की अवधि को समाप्ति तक, ब्राक्षेप ब्रीर्र् सुझाव मांगे गये थे जिनका उससे- प्रभावित डोना सम्भाव्य है,

ग्रौंर यतः उक्त राजपत्न 11 नवम्बर, 1974 को जनता को उपलब्ध कराया गया था;

ग्रौर यतः जनता से कोई ग्राजेप ग्रौर सुझाव नहीं प्राप्त हुए,

ग्रत: ग्रब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, ग्रर्थात :----

 संक्षिप्त माम श्रीर लागू होना.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुम्बई पत्तन न्यासो बोर्ड (न्यासियों को फीस श्रीर भत्तों का संवाय) नियम, 1975 है।

(2) ये महापत्तन न्यास ग्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 18 के उपबन्धों के प्रध्यधीन, मुम्बई पत्तन के न्यासी बोर्ड को लागु होंगे।

 संदेय फीस .—-ग्रध्यक, उपाध्यक्ष या ऐसी कोई ग्रन्य न्यासी जो सरकार का सेवक है, से भिन्न, बोर्ड का प्रत्येक न्यासी निम्नलिखित फीस का हकदार होगा—-

> (1) बोर्ड के प्रत्येक साधारण या विशेष ग्रधिवेशन में जिसमें गणपूर्ति हो ग्रौर कारबार किया गया हो ग्रौर जिसमें वह ग्रारम्भ से ग्रन्त तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के लिये तीस रुपये :

परन्तु किसो कैलेण्डर मास के दौरान हुए श्रधिवेशनों की बाबत किसी न्यासी की संदेय फीस की कुल रकम किसी भी दशा में 200 रुपये से ग्रधिक नहीं होगी,

(2) बोर्ड के माधारण या विशेष ग्रधिवेशन की ग्रनुवर्ती या तैयारी में उसी दिन होने वाले समिति के ग्रधिवेशन से भिन्न, बोर्ड की किसी समिति के प्रत्येक ग्रधिवेशन में, जिसमें कारबार किया गया हो श्रौर जिसमें वह ग्रारम्भ से ग्रन्त तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के लिये 15 रु०।

3. यात्रा भक्तों का संवाय — बोर्ड या उसकी समितियों में से किसी के ग्रधिवेशन में उपस्थित होने वाले ग्रौर बाहर से ग्राने वाले सभी न्यासी, नियम 2 के ग्रधीन यथा संदेय ऐसी फीस के ग्रतिरिक्त; उस मापमान पर यात्रा भत्ता पाने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के ग्रधिकारियों के उच्चतम वर्ग को लागू होता है, किन्तु वे कोई दैनिक भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे।

4. ऐसे ग्यासी को जो सरकारी सेवक हैं कतिपथ भत्तों का संदाय.----ऐसा न्यासी जो सरकार का सेवक है थ्रौर जो बोर्ड या उसकी समितियों में से किसी के प्रधिवेगन में उपस्थित होता है, उसको लागू होने वाले सेवा नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में याचा भत्ता और दैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा ।

G.S.R. 29(E).—In exercise of the powers conferred by section 126, read with sections 42 and 43, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Governmen herebyc makes the following first regulations, namely:—

I. Short title, commoncement and application.--(I) These regulations may be called the Port of Bombay (Responsibility for Goods) Regulations, 1975.

(2) Tany shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to the Port Trust of Bombay.

2. Definitions.-In these regulations unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);

(b) "Port" means the port of Bombay;

(c) "section" means a section of the Act.

3. Form of Receipt under sub-section (2) of section 42.—Every receipt referred to $n \approx 10^{-12}$ ction (2) of section 42 shall be given in the form annexed to these regulations.

4. Period of responsibility and the period of notice under section 43.—(1) No responsibility shall attach to the Board under section 43 after a period of seven clear working days from the date of taking charge of the goods by the Board, in respect of such goods.

(2) The notice of loss of, or damage to, the goods of which the Board has taken charge shall be given within a period of seven clear working days from the date of taking charge of such goods by the Board.

Explatation.—In computing the period of seven clear working days referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2), account shall not be taken of the day of taking charge of the goods.

Form

(See regulation 3)

BOMBAY PORT

PART I.-Receipt under section 42(2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963)

IMPORT

RECEIVED ex S.S. ______in shed of Berth No.______in shed of Berth No.______in the undermentioned goods. In respect of damaged/doubtful packages remarks are given in the attached remarks list.

Descrip- tion	Marks and Numbers or Address	Number of packages	Descrip- tion	Marks and Number	Number of packages
I	2	3	I	2	3

BOMBAY PORT

PART II.—Receipt under section 42(2) of the Major Port Trusts Act. 1963 (38 of 1963)

IMPORT

Remarks List

The following packages were Landed ex S	.8
at No Shed	
Night/III Shift of19 .	Their condition is apparently damaged/
doubtful and they are hereby remarked.	

	Description of packages	Marks and Numbers	Taily Sheet Number	Remarks
		·	·····	
r	2	3	4	5
	I management of the law of the la			

Date

Asstt. Manager/Shed Supdt./Asstt. Shed Supdt.

BOMBAY PORT

PART III. - Ressipt under section 42(2) of the Mijer Part Trusts Act, 1963 (38 of 1963)

EXPORT

RECEIVED from M/s._____in shed/open area of Berth No._____Dick on the Day/Night/III Shift of ______I9 the undermentioned goods

Sr. No. of Export

Shipping Bill Not .

Cargo Register

Sr. No. of Export Cargo Register

19

Shipping Bill No.

Descrip- tion	Marks and Numbers or Address .	Number of pack- ages	Descrip- tion	Marks and Numbers or Address	Number of pack- ages (;
I	2	3	I	2	3

BOMBAY PORT

PART IV.--Receipt under section 42(2) of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963).

Serial No.

Bombay, dated the-----

Application No.

Marks	Numbers	Number of packages	Description of goods	Remarks
 I	2	3	4	5
	·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·

The Port Trust is not liable for loss or damage from natural or unavoidable causes. Folio No._____

Manager.

BOMBAY PORT

PART V.-Receipt under section 42(2) of the Mijor Port Truss Act, 1963 (38 of 1963).

Port Trust Warehouse Receipt No.----

Date-----197

Goolsstored in-----Duck.

Received from the following goods warehoused by received on received on

Marks Nos. and Address	Packages	Description as stated	Ship	Remarks
╺──┥₀───┤───┤───┤───┤───┤				
I	2	3	4	5
		۵ <u>ـــامــر مسامـــا. ــا</u> ــــزمـــز		

The Port Truit is not liable for damage or loss from natural or unavoidable causes.

Folio No.-----

[No. PGL-22/74-I]

Manager.

सा० का० नि० 29(प्र).---केन्द्रीय सरकार, महा पत्तन न्यास ग्रधिनियम, 1963 (1963) का 38) की धारा 42 ग्रोर 43 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत्त गक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम धार निम्नलिखित विनियम बनाती है, श्रर्थात :----

 संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ भीर लागू होना.--(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मुम्बई पत्तन (माल के लिए उत्तरदायित्व) विनियम, 1975 है।

(2) ये राजपत में प्रकाणन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) देवे मम्बई पत्तन न्यास को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं---- इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से प्रन्यथा प्रपेक्षित न हो---

(क) "प्रधिनियम" से महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) ग्रभिप्रेत है;

(ब) "पत्तन" से मुम्बई पत्तन ग्रभिन्नेत है;

(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

4. थारा 43 के प्रथीन उत्तरवायित्व की मर्वाध और सूचना की ग्रवधि — (1) बोई ढारा माल के सम्भाल लेने की तारीख से सात स्पष्ट कार्यकरण की ग्रवधि के पण्चात, ऐसे माल की बाबत, घारा 43 के ग्रधीन बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।

(2) उस माल की जिसे बोर्ड ने सम्भाल लिया है, हानि या भति की सूचना बोर्ड बारा ऐसे माल के सम्भालने की तारीख से सात स्पष्ट कार्य करण दिनों की म्रावधि के मीतर वी जाएगी।

स्पष्टीकरण.—उपविनियम (1) या उपविनियम (2)में निर्दिष्ट सात स्पष्ट कार्यकरण दिनों की भवधि की संगणना करने में, माल के सम्भालने का दिन नहीं गिना जाएगा ।

সক্ষণ

(विनियम 3 देखिए)

मुझ्बई पत्तन

भाग 1.--महा पत्तन न्यास ग्रथिनियम, 1963 (1963 का 38) की घारा 42(2) के ग्रधीन रसीद

मायात

नीचे उल्लिखित माल 19.....कैंकैं.....कैं.....कैं.....कैं.....दन/राह्नि/ तृतीय पारी को......की घोड में एस ०एस०की चाहय द्वार पर प्राप्त किया । क्षतिग्रस्त/संदिग्ध पैकैजों की बाबत टिप्पणियां संलग्न टिप्पणी सूची में दी गई है ।

ग्रनुमेलन शीट संख्या.... फलका संख्या.... अनुमेलन शीट सं o.... फलका संख्या....

वर्णंन	चिन्ह ग्रौर स'० या पता		वर्गंन स	चिन्ह • • या पर	प्रौर पैंके जों की संख्या ग
 					-, 1 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1	~2 	3	1 	2	3

		मुम्बई पत्तन			
भाग 🎞महा	पत्तन ग्यास ग्रथिनियम	, 1963 (1963 प म्रायास	া 38) শী গা	रा 42(2) के स्रवीन रसी
		टिप्पणी सूची	1		
दौरान डाक—–	कें		एस०े एस०-		— को बाहर
पैकेजों की सं०	पेकेजॉ का वर्णन	चिन्ह श्रौर संख्या	ग्रनुमेलन र्श	ोट सं ०	टिप्पणियां
. 1	2	3		4	5
गरीख		सहायक प्रबंधक/शेड	म्प्रधीक्षक∕सह	्यक ग्रेड	मधीक्षक
भाग III.—मह नीचे उर्ा	ा पत्तन न्यास म्रभिनिय ल्लखित माल 19	मुम्बई परान म, 1963 (1963 निर्यात केके	का 38'की घ दिन ब	गरा 42(: को दिन/रा	2) के ग्रघीन रस् त/तृतीय पारी ^इ
भाग III.—मह नीचे र्ज डाक———	ा पत्तन न्यास ग्रथिनिय ल्लखित माल 19	मुम्बई पत्तन म, 1963 (1963 निर्यात	का 38'की घ दिन ब	गरा 42(: को दिन/रा	2) के ग्रवीन रस् त/तृतीय पारी ^इ
भाग III.—मह नीचे ज डाक से प्राप्त किया । नेर्यात स्थोरा रा	ा पत्तन न्यास ग्रथिनिय ल्लखित माल 19 बर्थ संत जिस्टर की कम संख्या	मुम्बई परान म, 1963 (1963 निर्यात 	का 38'की घ दिन शेड/खुलेक्षेत्र तस्थोराराजि	गरा 42(: को दिन/रा में मैसर्स– ास्टर	2) के ग्रघीन रस त/तृतीय पारी व
नीचे उर्न डाक से प्राप्त किया ।	ा पत्तन न्यास म्रमिनिय ल्लखित माल 19 बर्थ संत जिस्टर की कम संख्या गल संब	मुम्बई पसन म, 1963 (1963 निर्यात 	का 38′को म दिन व शेड/खुलेकोन्न तस्थोरारजि कम स० परिवहन बिल न िं न िं	गरा 42(: को दिन/रा में मैसर्स– ास्टर	2) के ग्रवीन रर्स त/तृतीय पारी में

तारीख———19

मुम्बई पत्तन

भाग 4.---महा पत्तन ग्यास प्रथिनियम, 1963 (1963 का 38) को घारा 42(2) के प्रधीन रसीव

कम सं०----

मुम्बई, तारीख----- 197

आवेदन स०

यहां पृथ्ठांकन द्वारा-----को या ग्रादेश पर परिदेय-----एंस०एस० द्वारा श्रायातित नीचे उल्लिखित माल के लिए वारन्ट/किराया-----(तारीख) से ग्रौर सभी भ्रन्य प्रभार इस वारन्ट की तारीख से प्रारम्भ होंगे ।

चिन्ह	चिन्ह संख्याएँ		माल का वर्णन	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

प्राकृतिक या प्रपरिहार्य कारणों से होने वाली हानियां क्षति के लिए पत्तन न्यास दायी नहीं होगा ।

फोलियो सं०----

मुम्बई पत्तन

भाग 5.--महा पत्तन न्यास ग्रविनियम, 1963 (1963 का 38) की वारा 42(2) के श्रधीन रसीव

पत्तन न्यास भांडागार रसीद सं०-----

प्रबन्धक

तारीख-----197

भांडागार में संगृहीत मालभांडागार में संगृहीत माल						
चिन्ह सं० ग्रौर पते।	प ँ केंज	यथा कथित वर्णन	पोत	टिप्पणियां		

3

प्राकृतिक या श्रपरिहार्य कारणों से होने वालो हानि या क्षति के लिए पत्तन न्यास दायो नहीं होगा ।

2

फोलियों सं ०------

1

प्रबन्धक

[सं० पी० जी० एल०--22/74-1]

4

G.S.R. 30(E)—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Procedure at Board Meetings) Rules, 1974 was published as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 2105—2108 of the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3, Sub-Section (i) dated the 6th November, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 452(E), dated the 6th November, 1974, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 11th November, 1974;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely—

1. Short title and application.—(1) These rules may be called the Board of Trustees of the port of Calcutta (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975.

(2) They shall, subject to the provisions of section 16 of the Act, apply to the business transacted at the meetings of the Board of Trustees of the port of Calcutta.

2. Frequency of meetings.—(1) A meeting of the Board shall be held at least once in every month.

(2) The Board shall from time to time determine the place, dated and time of its meeting:

Provided that where the Board is unable to do so for any reason, the Chairman may do so for reasons to be recorded in writing.

3. Calling of special meetings.—The Chairman or in his absence Deputy Chairman if appointed may, whenever he thinks fit, and shall upon the written request of not less than three Trustees, call a special meeting.

4. Circulation of agenda etc.—Agenda and notes or memoranda thereon, if any, for any meeting of the Board shall be circulated to the Trustees atleast three days before the date of the meeting:

Provided that in the case of a special meeting, such Agenda and notes or memoranda thereon shall be circulated atleast one day before the date of the meeting.

5. Discussion of items not included in the agenda.—The Chairman or in his absence Deputy Chairman, if appointed may, at his discretion, include for discussion at any of the meetings of the Board, including a special meeting, any item not included in the agenda if the same is, in his optinion, of sufficient importance or urgency or both and cannot be held over for the consideration of the Board at any subsequent meeting.

6. **Poll**—If a poll is demanded on any question, the names of the Trustees voting and the nature of their votes shall be recorded by the President of the meeting.

7. Minutes of the meeting.—(1) Minutes of the proceedings at each meeting of the Board shall be recorded in a book to be provided by the Board for this purpose, which shall be signed as soon as practicable by the President of such meeting and shall be open to inspection by any Trustee during office hours.

(2) Minutes of the proceedings excepting such portion thereof as the Chairman or, in his absence Deputy Chairman, if appointed, may direct in any particular case, shall also be open to the inspection of the public at the office of the Board during office hours.

(3) The names of the Trustees present at each meeting shall be recorded in the minutes book.

Explanation.—For the purposes of this rule and rule 8, the expression "President" shall mean the Chairman or, in his absence the Deputy Chairman, if appointed, and in the absence of both, any person chosen by the Trustees present from among themselves. 8. Adjournment of meetings.—The President of a meeting may, with its consent, adjourn it to a later date which shall either be announced at the meeting or communicated to the Trustees at least three days before the date of the meeting. [No. F. PGL-23/74]

सा० का० नि० 30 (झ).----यतः कलकत्ता पत्तन ग्यासी बोर्ड (बोर्ड के अधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1974 का प्रारूप, महापत्तन ग्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत सरकार के नौबहन और परिवहन मंखालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 452 (ङ) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के अधीन भारत के राजपत्न, प्रसाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (1) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के पृष्ठ 2105-2108 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिन की ग्रवधि की समाप्ति तक ग्राक्षेप श्रोर सुझाव मांगे गए थे जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है;

ग्रौर यतः उक्त राजपत्न 11 सवम्बर, 1974 को जनता को उपलब्ध कराया गया था;

श्रोंर यतः जनता से कोइ श्राक्षेप श्रोर सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं;

ग्रतः ग्रब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम को धारा 122 की उपशरर (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्तलिखित निथम बनाती है, अर्थातः----

 संक्षिप्त नाम झौर लागू होंना.---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कल्कता पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के भ्रधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1975 है।

(2) ये अधिनियम की धारा 16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ये कलउत्ता पत्तन के न्यासी बोड के अधिवेश नों में विए गए कारबार को लागु होंगे ।

2. ग्र**थिवेशनों की ग्राथुत्ति.**—(1) बोर्ड का ऋधिवेशन प्रत्येक मास में कम से कन एक बार होगा ।

(2) बोर्ड समय-समय पर अपने अधिवेशन का स्थान, तारीख श्रौर समय अवधारित वरोगा :

भरन्तु जहां किसी कारणवश बोर्ड ऐसा करने में प्रसमर्थ, है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके प्रध्यक्ष ऐसा कर सकेगा ।

3. **विज्ञेल ग्रधियेज्ञनों का युलाया जाना.**—-प्रध्यक्ष या उसकी ग्रनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, रूदि नियुक्त किया गया हो, जब कभो वह ग्रावण्यक समझे, विशेव श्रधिवशत वुला सकेगा ग्रोर कम से कम तीन न्यासियो के लिखित प्रनुरोध पर वह ऐसा करेगा ।

4. कार्यसूची मादि का परिचालन मादि —-वोर्ड के किसी अधिवेशन के लिए कार्य-भूची मौर उस पर टिप्पण या झापन यदि कोई हो, अधिवेशन की तारीख से कम से कव तीन दिन पूर्व न्यासियों को परिचालित किए जाऐंगे:

परन्तु बिशव अधिवेशन की देशा में ऐसी कार्यसूची और टिप्पण या जापन अधिवेशन की तारीक से कम से कम एक दिन पूर्व परिचालित किए जाएगे।

SEC 3(i)] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

5. उन मदों पर विचार-विमर्श जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं हैं.—--ग्रध्यक्ष या उसकी झनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, स्वविवेक्षानुसार, बोर्ड के ग्रधि-वेशनों में से, जिसमें विशेष प्रधिवेशन भी सम्मिलित हैं, किसी भी प्रधिवेशन में विचार-विमर्श के लिए कार्यसूची में सम्मलित नहीं की गई किसी मद को उस दशा में सम्मिलित कर सकेगा जबकि वह उसकी राय में पर्याप्त महस्व की है या ग्रति-प्रावश्यक है अथवा दोनों ही है श्रौर उसे किसी पश्चातवर्ती ग्रधिवेशन में बार्ड के विचारार्थ रोका नहों जा सकता है ।

7. प्रभिवेधन के कार्यवृतः—(1) बोर्ड के प्रत्येक प्रधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त ऐसी 9ुस्तक में ग्रभिलि खित किए जाएंगे जिसकी व्यवस्था बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए की जाएगी ग्रौर उन पर, यथासाध्यशीझता से, ऐसे प्रधिवेशन के सभापति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ग्रौर यह कार्यालय समय के दौरान किसों भी न्यासी के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

(2) कार्यवृत्त, उसके ऐसे भाग को छोड़कर जिसके लिए ग्रध्यक्ष या उसकी ग्रनु-पस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, किसी विणिष्ट मामले में निदेश दे, बोर्ड के कार्यालय में, कार्यालय रुमय के दौरान, जनता के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(3) प्रत्यंक ग्रधिवेशन में उपस्थित न्यासियों के नाम कार्यवृत्त-पुस्तक में ग्रभिलिखित किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.--इस नियम तथा नियम 8 के प्रयोजनों के लिए ''म्राध्यक्ष'' पद से म्राध्यक्ष या उसकी म्रानुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया है, म्रौर दोनो की म्रानुपस्थिति में, उपस्थित न्यासियों में से उन्हीं बारा चुना गया कोई व्यक्ति म्राभित्रेत होगा

[सं० फा० बा० जी॰ एल०--3/74]

G.S.R. 31(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1974 was published as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 2093-2095 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (1) dated the 6th November, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 449(E), dated the 6th November, 1974, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on 11th November, 1974;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and application.—(1) These rules may be called the Board of Trustees of the port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975.

(2) They shall, subject to the provisions of section 18 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), apply to the Board of Trustees of the port of Calcutta.

2. Fees payable.—Every Trustee of the Board, other than the Chairman, Deputy Chairman, or any other Trustee who is a servant of the Government, shall be entitled to a fee of—

- (i) rupees thirty for attendance at each ordinary or special meeting of the Board at which a quorum is present and business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof:
- Provided that the aggregate amount of fees payable to any Trustee in respect of the meetings held during any calendar month shall not in any case exceed rupees two hundred;
- (ii) rupees fifteen for attendance at each meeting of any committee, other than the meeting of the committee held on the same day in continuation or preparatory to, an ordinary or special meeting of the Board, at which business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof.

3. Payment of travelling allowances.—All outstation Trustees attending any meeting of the Board or any of its committee shall, in addition to such fee a_S is payable under rule 2, be entitled to receive travelling allowance on the scale applicable to the highest class of officers of the Central Government but shall not be entitled to receive any daily allowance.

4. Payment of certain allowances to a Trustee who is a Government servant.— A Trustee who is a servant of the Government and who attends any meeting of the Board or of any of its committees shall be entitled to receive travelling allowance and daily allowance in accordance with the provisions of the service rules applicable to him.

[No. F. PGL-24/74]

सा० का० नि० 31 (म) --- यतः कलकत्ता पतन न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फोस म्रोर भत्तों का संदाय) नियम, 1974 का प्रारूप, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यया अपेक्षित भारत सरकार के नोवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की प्रधिसूचना संख्या सा० का० नि० 449(ङ०) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के अधीन भारत के राजपत्न, मसाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 6 फरवरी, 1974 पृष्ठ 2093-2095 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियो से उक्त अधिसूचना के राजपत्न में प्रकाशन को तारोज से पैतालीस दिन की ग्रवधि की समाप्ति तक, ग्राक्षेप भोर सुझाव मांगे गये थे जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य था,

श्रीर यतः उक्त राजपत्न 11 नवम्बर, 1974 को जनता को उपलब्ध कराया गया था;

मौर यतः जनता से कोई प्राक्षेप ग्रीर सुझाव नहीं प्राप्त हुए;

मतः, म्रज नेन्द्रीय सरकार, उन्त ग्रघिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) डारा प्रवत्त मन्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, ग्रथति :---

 संक्षिप्त नाम ग्रीर लागू हीना----(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलकता पत्तन न्यासी बोर्ड (स्थासियों को फीस ग्रीर भरों का संदाय) नियम 1975 है। _3_

(2) ये महापक्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 18 के उपबन्धों के श्रध्यक्षीन, बल्बचा पत्तन के न्यासी बोर्ड को लाग होंगे।

 संदेय फीस.---अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या ऐसा कोई अन्य न्यासी जो सरकार का सेवक है, रे फिल्म बोर्ड वा प्रत्येक न्यासी निम्नलिखित फीस का हकदार होगा----

> (!) वोर्ड क प्रत्येक साधारण या विशेष ग्रधिवेशन में जिसमें गणपूर्ति हो ग्रीर कारबार किया गया हो ग्रीर जिसमें वह ग्रारम्भ से ग्रन्त तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के सिय तीस रुपये :

परःतु किसी कैलेण्डर मास के दौरान हुए ग्रधिवशनों की बाबत किसी ज्यासी को संदेय फीस की कुल रकम किसी भी दशा में 200 रु० से ग्रधिक नहीं होगी,

(2) बोर्ड के साधारण था विशेष प्रधिवेशन की धनुवर्ती था तैथारी में उसी दिन होने वाले समिति के प्रधिवेशन से भिन्न, बोर्ड की किसी समिति के प्रत्येक प्रधिवेशन में, जिसमें कारबार किया गया हो ग्रोर जिसमें वह ग्रारम्भ से भ्रन्त तक उपस्थित रहुता हो, उपस्थिति के लिये 15 रुपये।

3. यात्रा भत्तों का संवाय.---(1) बोर्ड था उसकी समितियों में से किसी के अधिवेशन में उपस्थित होने वाले और बाहर से आने वाले सभी न्यासी, नियम 2 के अधीन यथा संदेय ऐसी फीस के अतिरिवत, उस मापमान पर यात्रा भत्ता पान के हकदार होगे जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के उच्चतम वर्ग को लागू होता है, किन्तु ये कोई दैनिक भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे।

८ ऐसे स्यासी को जो सरकारी सेंबक है कतिपय भतों का संवाय — ऐसा न्यासी जो सरकार का सेवक ई ग्रार जो बोर्ड या उसकी समितियों में से किसी के ग्रधिवेशन में उपस्थित होता है, उसको लागू होने याने सेवा नियमो के उपबन्धों के अनुसरण में यात्रा भत्ता ग्रीर बैनिक भत्ता पाने का हकदार होगा।

[सं॰ फा॰ पो॰ जी॰ एल॰→24/74]

G.S.R. 32(E).—In exercise of the powers conferred by section 126, read with sections 42 and 43, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following first regulations, namely :--

1. Short title, commencement and application. These regulations may be called the Port of Calcutta (Responsibility for Goods) Regulations, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

(3) They shall apply to the Port Trust of Calcutta.

- a. Definitions .- In these regulations, unless the context otherwise requires .-
 - (a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);
 - (b) "Port" means the port of Calcutta;
 - (c) "Section" means a section of the Act.

3. Form of Receipt under sub-section (2) of section 42.— Every receipt referred to in sub-section (2) of section 42 shall be given in the form annexed to these regulations.

4. Period of responsibility and the period of notice under section 43.—(1) No responsibility shall attach to the Board under section 43 after a period of seven clear working days from the date of taking charge of the goods by the Board, in respect of such goods.

(2) The notice of loss of, or damage to, the goods of which the Board has taken charge shall be given within a period of seven clear working days from the date of taking charge of such goods by the Board.

 E_{n} planation.— In computing the period of seven clear working days referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2), account shall not be taken of the day of taking charge of the goods.

		For	RM		
		(Sec regu	lation 3)		
		CALCUTTA P	ORT TRU	ST	
PART I Rec	eipt under section 42	a(2) of the Major	Port Trusts	Act, 1963	(38 <i>of</i> 1963).
	RE	CEIPT FOR IN	A PORT CA	ARGO	
Receipt No.					
		15			4
	Landed d	uring 2nd		c	
of	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	.19 from the.			ne of vessel)
by the Board the contents		e Port of Calcutt	a the follow		s, contents and state
		Number of j	packages	Total	Defective packages
Marks	Description	Packages unnu to he stroke to in a divisio	allied five	number of packages	and their condition and number
Shed Clerk	······································	v Supervisor Do			. oc w.
	Words n	ot applicable to	be scored	out.	
		CALCUTTA P	ORT TRUS	т	
PART 11R	eceipt under section			-	3 (38 of 1963).
				Not	Negotiable
Receipt No.					
				Trailer/Boat	/Wagon No.,
tor stock/for	r carriage by rail a		ring point)		
A/c			e of Party)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Marks	Numbers	Description	Quantity	(Damage/	Deficiency, if any, to oned under this column)
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Dated Calcu					
тце,	day of.,	. 19		Doc	sks Ma∘ager
				Տոե Տու	dt. J. & W. dt. T.W.H.
				Sup	dt. K.F. dt. Coal

Words not applicable to be scored out.

------ ----- -----

- ---

CALCUTTA PORT TRUST

PART III.-Receipt under section 42(2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

Receipt No.					
Receive	ed the undernoted				
Dock Challer	(receiving	point)	vent ner	(name of	Party)
	1 10			(name of	vessel)
Marks	Numbers	Description	Quantity	Remarks	

MATKS	Numbers	Description	Quantity	Remarks
				(Damage/Deficiency, if any, to be
				mentioned under this column)
<u>***</u>				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Dated, Calcutta	
The 19.	Docks Manager Supdt. J. & W.
	Supdt. Coal

Words npt applicable to be scored out.

No. PGL-22/74-II]

सा॰ का॰ नि॰ 32 (प्र).—केन्ब्रीय सरकार, महा परान न्यास ब्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की घारा 42 क्रीर 43 क साथ पठित धारा 127 द्वारा प्रवत्त णक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रथम बार निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :---

- (2) ये राजपत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे।
- (3) ये कलकत्ता पत्तन न्यास को लागू होंगे ।
- परिभाषाएं---इन विनियमो में, जब तक संदर्भ से ग्रन्थथा अपेक्षित न हो,---
 - (क) ''ग्रधिनियम'' से महा पत्तन न्याल अधिनियम, 1963 (1963 का 38) अभिन्ने त है ;
 - (ख) ''पत्तन'' सं कलकत्ता-पत्तन ग्रमिश्रेत है ;
 - (ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

 अारा 42 को उपभारा (2) के प्रधीस रक्षीय का प्ररूप---धारा 42 की उपधारा (2) में निदिष्ट प्रत्येक रसीद इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप में बी जाएगी ।

4. भारा 43 के मधीन उत्तरधायित्व की प्रथपि और सूचना की प्रवणि — (1) बोर्ड ढारा माल के संभालने की तारीख से सात स्पष्ट कार्यकरण दिनों की ग्रवधि के पश्चात्, ऐसे माल की बाबत, धारा 43 के श्रधीन बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(2) उस माल की, जिस बोर्ड ने संभाल लिया है, हानि की या क्षति की सूचता बोर्ड द्वारा ऐसे माल के सम्भालने की तरीख से सात स्पष्ट कार्यकरण दिनों की अवधि के भीतर दी जाएगी ।

स्वष्टीकरण ---उपविनियम (1) या उपविनियम (2) में निर्दिष्ट सात स्तब्ट कार्यकरण दिनों की श्रवधि की संगणना करने में, माल के सम्भालने का दिन कीं गिना जाएगा।

Not Negotiable

সক্ষণ

		(विदियम 3 देखिए)		
		कलकत्ता भर्तन ग्यास		
भाग 1	महा पश्चन न्या	स श्रथिनियम, 1963 (1963 का 3	8) की घारा 42	2(2) के प्रवीन रसीद
		झायात स्थोरा के लिए	रसीव	
रसीद सं	o			
	निम्नलिखित पैके	ज, <mark>अन्</mark> तर्वस्तुएं और <mark>प्रवात अन्तर्वस्तुए</mark> ं	कलकत्ता पत्तन	के लिए नगसी लोट
द्वारा		से 19		के
	(जलयान	का नाम)		
• • • • •	दिन	की प्रयम/द्वितीय/तृतीय पारी के दौरान	उतारे गए ।	
चिह्न	वर्णम	पैकेजों की संख्या (भ्रसंख्यांकित पैकेज एक खंड में एक व1र में पांच गिने जाएंगे)		र्शातग्रस्त पैके ज ग्रौर उनकी हालत तथा संख्या

पैकेजों की कुल संख्या संकों सार शब्दों में		
अका आर राज्या न सिखी जाएगी ।		
झेड लिपिक	ग्रनुमेलन पर्यवेक्षक	आक प्रबन्धक/मधोक्षक जे० एण्ड उब्ल्यूo

			·	······································
		करनक सा	रतन न्यास	
भाग⊶–I	Iमहा पत्तन रसीव	म्यास ग्रथिनियम, 19	983 (1983 का	38) की घारा 42(2) के प्रमीन
रसीद सं	9			ग्रापरकाम्य
;	म्टाक के लिए/	, (प्राप्ति कम्द्र		ने जाने के लिए लारी/ठेला/ट्रेलर/
नाव/वैगन	न सं०		मं नीचे लि	खे पैकेज प्राप्त किए ।
-खाता	(पक्षकार	का नाम)		
				हिप्पणियां
चिह्न	सं रुया	वर्णन	मंद्रि।	(क्षति,/कमी, यदि कोई हो, इस स्तम्भ में उल्लिखित की जाएगी)

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

SEC. 3(i)]

तारीख, कलकत्ता 19......का डाक प्रबन्धकदिन अधीक्षक जे० एण्ड० डब्ल्यू० प्रधीक्षक टी० डब्ल्यू० एच० प्रधीक्षक की॰ एफ० अधीक्षक कोयला

[सं० पी॰ जी॰ एल॰-22/74-2]

तारीख, कलकत्ता

जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दोजिए ।

डाक प्रबन्धक ग्रधीक्ष ज जे० एण्ड डब्ल्यू₀ भर्धाक्ष क को गला

(जलयान का नाम) (पक्षकार का नाम)

श्रवीन रसीव

लारी/टेला	/ट्रेलर/बैगन/नाव	₹Í•	संग्र	घोलिखित पैकेज प्र	ाप्त किए	गए ।
चिह्न	संख्या	वर्णन	শালা	ति (क्षति/क्षमी; ह्रो, इस ग्रन्तर्गत उति जाएगी)	स्तम्भ	कोई के की

भ्रपरकाम्य 'रसीद सं०....

..... थोत लदान के लिए डाक चालान

भाग III.---महा पत्तन न्यास ग्राधनियम, 1963 (1963 का 38) की मारा 42(2) 🕏

कलकत्ता पत्तन न्यास

(प्राप्ति केन्द्र)

पर

G.S.R. 33(E).—Whereas the draft of the Board of Trustees of the Port of Madras (Procedure at Board Meetings) Rules, 1974 was published as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 2109—2112 of the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 6th November, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 453(E), dated the 6th November, 1974, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, the said Gazette was made available to the public o_n the 11th November, 1974;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and application. $\neg(1)$ These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Madras (Procedure at Board Meetings) Rules, 1975.

(2) They shall, subject to the provisions of section 16 of the Maior Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), apply to the business transacted at the meetings of the Board of Trustees of the port of Madras.

2. Frequency of meetings.--(1) A meeting of the Board shall be held at least once in every month.

(2) The Board shall from time to time determine the place, date and time of its meeting:

Provided that where the Board is unable to do so for any reason, the Chairman may do so for reasons to be recorded in writing.

3. Calling of special meetings.—The Chairman or in his absence Deputy Chairman if appointed may, whenever he thinks fit, and shall upon the written request of not less than three Trustees, call a special meeting.

4. Circulation of agenda etc.—Agenda and notes or memoranda thereon, if any, for any meeting of the Board shall be circulated to the Trustees atleast three days before the date of the meeting:

Provided that in the case of a special meeting, such Agenda and notes or memoranda thereon shall be circulated atleast one day before the date of the meeting.

5. Discussion of items not included in the agenda.—The Chairman or in his absence Deputy Chairman, if appointed may, at his discretion, include for discussion at any of the meetings of the Board including a special meeting, any item not included in the agenda if the same is, in his opinion, of sufficient importance or urgency or both and cannot be held over for the consideration of the Board at any subsequent meeting.

6. Poil.—If a poll is demanded on any question, the names of the Trustees voting and the nature of their votes shall be recorded by the President of the meeting.

7. Minutes of the meeting.—(1) Minutes of the proceedings at each meeting of the Board shall be recorded in a book to be provided by the Board for this purpose, which shall be signed as soon as practicable by the President of such meeting and shall be open to inspection by any Trustee during office hours.

(2) Minutes of the proceedings excepting such portion thereof as the Chairman or, in his absence Deputy Chairman, if appointed, may direct in any particular case, shall also be open to the inspection of the public at the office of the Board during office hours.

(3) The names of the Trustees present at each meeting shall be recorded ip_1 the minutes book.

Explanation.—For the purposes of this rule and rule 8, the expression "President" shall mean the Chairman or, in his absence the Deputy Chairman if appointed, and in the absence of both, any person chosen by the Trustees present from among themselves.

8. Adjournment of meetings.—The President of a meeting may, with its consent, adjourn it to a later date which shall either be announced at the meeting or communicated to the Trustees at least three days before the date of the meeting.

[No. F. PGL-14/74]

सा० का० नि०33(क) — यतः मद्रास पत्तन न्यासी बोर्ड (बोर्ड के मधिवेशनों के लिये प्रकिया) नियम, 1974 का प्रारुप महापत्तन न्यास मधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) द्वारा यथा व्यक्षित, भारत सरकार के नौयहन भौर परिवहन मदाखब (परिवहन पद्र) की मधिसूचना संख्या सा०का०नि० 453 (ड) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के प्रधीन भारत के राअपन, प्रसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में तारीख 6 नवम्बर, 1974 के प्रधीन भारत के राअपन, प्रसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में तारीख 6 नवम्बर, 1974 के प्रधीन भारत के राअपन, प्रसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में तारीख 6 नवम्बर, 1974 के पृष्ठ 2109-2112 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त मधिसूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक म्राक्षेप म्रोर सुझाव मांगे गये बे जिनका उसस प्रभावित होना सम्भाव्व है ;

और यतः उक्त राजपत्न 11 नवम्बर, 1974 को जनता को उपलब्ध कराया गया था :

और यतः जनता से कोई भाक्षेप भौर सुझाव नहीं प्राप्त हुए हैं ;

म्रतः, भव केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, मर्थातः :---

ा. **संक्षिप्त नाम और लागू होना.---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मद्रास पत्तन न्यासी** आड (बाड के मधिवेशनों के लिए प्रक्रिया) नियम, 1975 है।

(2) ये महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 16 के उपबन्धों के अधीम रहते हुए ये मद्रास पत्तन के न्यासी बोर्ड के अधिवेशनों में किए गए कारबार की लाग होंगे।

 श्रविवेशनों की आयुक्ति--(1) कोई का ,ग्रधिवेशन प्रत्येक नमास में कम से कम एक आप होगा ।

(2) बोर्ड समय-समय पर अपने अधिवेशन का स्थान, तारीख भौर समय प्रवधारित करेगा।

परन्तु जहां किसी कारणवंश बोर्ड ऐसा करने में घ्रसमर्थ है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबढ करके मध्यक्ष ऐसा कर सकेगा।

3. विशोध अधिवेशनों का बुलाया जाना. --- अध्यक्ष या उसकी भनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, जब कभी वह आवश्यक समझे, विशेष अधिवेशन बुला सकेगा और कम से कम तीन न्यासियों के लिखित अनुरोध पर वह ऐसा करेगा।'

4. कार्यसूची झाबि का परिचालन झाबि — बोर्ड के फिसी घष्टिवेशन के लिये कार्यसूची और उस पर टिप्पण या झापन यदि कोई हो अधिवेशन की तारीख से कम से कम तीन दिन पूर्व न्यासियों को परिचालित किए जाएंगे ।

परन्तु विष्येष अधिवेशन की ढशा में एसी कार्यसूची ग्रौर टिप्पण या ज्ञापन प्रधिवेशन की तारीख से कम से कम एक दिन पूर्व परिचालित किए आएंगे । 5. उन मदों पर विचार विमर्ज जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं हैं.---अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, स्वविवेकानुसार, बोर्ड के अधिवरानों में से जिसमें विवच प्रधिवेशन भी सम्मिलित हैं, किसी भी प्रधिवेशन में विचार विमर्श के लिए कार्यसूची में सम्मिलित लहीं की गई किसी मद को उस दशा में सम्मिलित कर सकेगा जबकि वह उसकी राय में पर्याप्त महत्व की है या अति-आवश्यक है प्रथवा दोनों ही हैं और उस किसी परवातवर्ती प्रधिवेशन में बोर्च के किसी परवातवर्ती प्रधिवेशन में बोर्च के विचारार्य रोका नहीं जा सकता है।

6. मतवान.---पदि किसी: प्रश्त पर मतदान की मांग की जाती है, तो मत देने वाले न्यासियों के नाम तथा उनके मतों को प्रकृति ग्राधिवेशन के सभापति द्वारा ग्राभिलिखित की जाएगी।

7. द्यविवेशन के कार्यवृत --- (1) बोर्ड के प्रत्येक प्रधिवेशन की कार्यवाहयों के कार्यवृत एसी पूस्तक में प्रभिलिखित किए जाएंगे जिसकी व्यवस्था बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए की जाएंबी जौर उन पर, यथासाध्यर्शाध्रता में ऐमें प्रधिवेशन के सभावति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ग्रीर यह कार्यांत्रय समय के दोरान किसी भी स्थामी के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(2) कायंबृत, उसके ऐसे भाग को छोड़कर जिसके लिए प्राध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, किसी विशिष्ट मामले में निदेश दे, बोर्ड के कार्यालय में, कार्या-लय समय के बौरान, जनता के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे 1%

(3) प्रत्येक ग्रधिवेशन^{भू}में उपस्थित न्यासियों के नाम कार्यवृत-पुस्तक में ग्रकिलिखिक किए **जादंगे** ।

स्पच्छीइरण.----इस नियम तथा नियम 8 के प्रयोजनों के लिए ''प्रध्यक्ष'' पद से भ्रध्यक्षया उसकी मनुपस्थिति में उपाध्यक, यदि नियुक्त किया गया है, श्रीर दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित न्यासियों में से उन्हीं द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति प्रभिन्नेत होगा।

8. अधिवेशनों का स्थगत —---प्रधिवेशन का सभापति, उसकी सहमति से, अधिवेशन ऐसी पत्रवात्वतीं तारीख तक स्थगित कर सकेगा जिसके बारे में या तो अधिवेशन में आख्यापित किया जाएगा या अधिवेशन की तारीख में कन से कन तीन दिन पूर्व न्यासियों को संसुचित किया जाएगा ।

[सं० फ० पी-- जी० एल०-14/74]

G.S.B. 34(E).—WHEREAS the draft of the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1974 was published as required by sub-section (2) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) at pages 2113—2115 of the Gazette of India Extraordinary, Part II. Section 3, Sub-Section (i) dated the 6th November, 1974, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 454(E), dated the 6th November, 1974, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, the said Gazette was made available to the public on 11th November, 1974;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and application.—(1) These rules may be called the Board of Trustees of the port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975

(2) They shall, subject to the provisions of section 18 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), apply to the Board of Trustees of the port of Madres and also to the Committees set up by the Board from time to time.

2. Fees payable.—Every Trustee of the Board of Trustees of the port of Madras, other than the Chairman, the Deputy Chairman or any other Trustee who is a servant of the Government, shall be entitled to a fee of.—

- (i) rupees twenty-five for attendance at each ordinary or special meeting of the Board at which a quorum is present and business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof:
- Provided that the aggregate amount of fees payable to any Trustee in respect of the meetings held during any month shall not exceed rupees one hundred and fifty;
- (ii) rupees fifteen for attendance at each meeting of any Committee, other than the meeting of the Committee held on the sam day in continuation or preparatory to, an ordinary or special meeting of the Board at which business is transacted and which he attends from the beginning to the end thereof.

[No. F. PGL-4/74]

सा० का० मि० 34 (क). ---- यतः मद्रास पत्तनं न्यासी बोर्ड (न्यासियों को फीस आरे भतों या संदाय) नियम, 1974 का प्रारुप, महापत्तन न्यास प्रधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (2) ढारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौबहन और परिवहन मंत्रालय (परि-वहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 454 (अ) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के अधीन भारत के राजपत्न, ग्रसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के प्रधीन भारत के राजपत्न, ग्रसाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) तारीख 6 नवम्बर, 1974 के पुष्ठ 2113-2115 पर प्रकाणित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना के राजपत्न में प्रकाणन की तारीख से पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक, आक्षेप और सुझाव मांगे नए थे जिनका उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है ;

और यतः उक्त राजपत 11 नवम्बर, 1974 को जनता की उपलब्ध कराया गया था ;

श्रीर यतः जनता स कोई आक्षेप और सुझाव नही प्राप्त हुए;

ग्रतः ग्रब, वेश्वीय सरकार, उक्त प्रधिनियम को धारा 122 की उपधारा (1) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, ग्रयत् :----

 संक्षिप्त नाम झौर लागू होना — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंद्रास पत्तन न्यासों बोर्ड (न्यासियों को कीस ग्रीर भत्ती का संदाय) नियम, 1975 है।

(2) ये महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 18 के उपबन्धों के अध्यधीन, मद्रास पत्तन के न्यासी बोर्ड को तथा बोर्ड द्वारा समय-समय पर गठित समितियों को भी लागू होंगे ।

> (i) बोर्ड के प्रत्यक साधारण या विशेष त्रधिवेशन में जिसमें गणपूर्ति हो श्रोर कारवार किया गया हो श्रोर, जिसमें वह आरम्भ से अन्त तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के लिए पचीस रुपए :

परन्तु किसी मास के दौरान हुए ग्रधिवणनों की बाबत किसी न्यासी की संदेय फीस को कुन रकम किसी भी दणा में एक सौ पचास ब्वए से प्रधिक नहीं होगी ; (ii) बोर्ड के साधारण या विशेष अधिवेशन की अनुवर्ती या तेयारी में उसी दिन होने वाले ममिति क प्रधिवेशन से भिन्न, किसी समिति क प्रत्येक प्रधिवेशन में, जिसमें कारबार किया गया हो और जिसमें वह ग्रारम्भ स अन्त तक उपस्थित रहता हो, उपस्थिति के लिए 15 रुपए।

[सं० फा० पी० जी० एल०-4/74]

G.S.R. 35(E).—In exercise of the powers conferred by section 126, read with section 42 and 43, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby makes the following first regulations, namely:—

1. Short title, commencement and application.--(1) These regulations may be called the Port of Madras (Responsibility for Goods) Regulations, 1975.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) They shall apply to the Port Trust of Madras.

- Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires,—

 (a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963);
 - (b) "Port" means the port of Madras;

(c) "section" means a section of the Act.

3. Form of Receipt under sub-section (2) of section 42.—Every receipt referred to in sub-section (2) of section 42 shall be given in the form annexed to these regulations.

4. Period of responsibility and the period of notice under section 43.---(1) No responsibility shall attach to the Board under section 43 after a period of seven clear working days from the date of taking charge of the goods by the Board, in respect of such goods.

(2) The notice of loss of, or damage to, the goods of which the Board has taken charge shall be given within a period of seven clear working days from the date of taking charge of such goods by the Board.

Explanation.—In computing the period of seven clear working days referred to in sub-regulation (1) or sub-regulation (2), account shall not be taken of the day of taking charge of the goods.

				Fo	RAI			Book NoSerial No
				(See re	gulation 3)			
				MADRAS	PORT TRUS	т		
	Řes	eipt un der s	ection 42(2) of the Major	Port Trusts A	let, 1963 (38 d	f 1963)	
	Ca	urgo handle	d by Gang	No:	Maistry			
					E.A.	No		. S.B. No:
Landed								
Loaded from Boats	/direct							
Shift I/II/III on	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
fally of Cargo	Ex s.s./m.	v			at V	₩.Q. /C.Q./S.Q)	/N.Q./E.Q./J.D
if there be any app Steamer Agents Fime commenced.	Messrs:	•••••	 		ents and state	of contents uni	310- 1031	Time finished
No. of hooks worl	ding in the ha	tches Imp Expo						
Sling No.		Time of						Waight
Sling No.	Sling landed	Time of Sling cleared	Cargo cleared	Description of packages	Marks and Numbers	Particulars of Tally	Total	Weight Kilos or T. CWT. Or
Sling No.	Sling	Sling					Total	Remarks
Sling No. Signature of the A For the Steamer Ag	Sling landed Formed gent's Tally Ci	Sling cleared Lifted	cleared				Signature	Kilos or T.CWT.Qr.

सा॰ का॰ नि॰ 35 (प्र).---केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधितित्रम, 1963 (1965 का 38) की धारा 42 और 43 के साथ पठित धारा 126 द्वारा प्रदत जनिरयों का प्रयोग करते हुए प्रथम बार निमनलिखित वितियम बताती है, अयीत् :---

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ मौर लागू होना.---(1) इन विनियमों का संक्षिप्त न(म मद्र/स पत्तन (माल के लिए उत्तरदाधित्व) विनियम, 1975 है।

- (2) ये राजपत में प्रकाशन की नारीख को प्रवृत होंगे ।
- (3) ये मद्रास पत्तन न्यास को लागू होंगे ।
- 2. **परिभाषाएं**.—इन विनिथमों में, जत्र तक संदर्भ से प्रत्यया ग्रापेक्षित त हो्⊸⊸
 - (क) ''ग्रधिनियम'' से महापतन न्यास ग्रधितियम, 1963 (1963 कः 33) ग्रभिप्रेत है ;
 - (ख) "पत्तन" से मद्रास पत्तन अभिप्रेत है ;
 - (ग) "धारा" से अधिनियम की घारा प्रभिन्नेत है।

3. धारा 42 की उप-धारा (2) के ग्रमीस रसीय का प्रक्रप.---धारा 42 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक रसीद इन विनियमों से उपाबद प्ररूप में वी जाएगी।

4. भार: 43 क प्रवीन उत्तरवायित्व की प्रवधि पौर सूचना की प्रवधि.—(1) बोर्ड द्वारा माल के सम्भाल लेने की तारीख से सात स्पच्ट कार्यकरण दिनों की प्रवधि खे परचात ऐसे माल की वाबत, धारा 43 के प्रवीन बोर्ड का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(2) उस माल की, जिसे बोर्ड ने सम्भाल लिया है, हानि या क्षति को सूनता बोर्ड द्वारा ऐसे माल के सम्भालने की तारीख से सात स्पब्ट कार्यकरण दिनों की अग्रधि के भीतर दी जागेगी।

स्पछढीकरण.--- उपविनियम (1) या उपविनियम (2) में निर्दिष्ट सात स्थब्ट कार्य-मरण दिनों की श्रवधि की संगणना में, माल के सम्भालने का दिन नहीं गिना जाएगा।

· ·	:		 			
बही सं० फ्रेम सं०.	एम ेव् वो ठ सं 1		म्य		किलो या टन हण्ड्रेडवेट, क्वाटेंर् पौण्ड	अनुमेलन लिपिक कै हम्ताक्षर इ.ते भट्राम पत्तत त्यासी धिर्वा की क्वल 2012 1113
		र्गे को दसा	ममाप्त करने का समय.	भार	किलो हण्डुडवे प	मनुमेत मनुमेत शत
	6	म० वीं ० ारविस्टि	मम	म म		
	मिस्त्री ई० ए० सं० . यर डेरिज/क्रेन स्०.	्र्यस्य एस० एस०/एम० बॉo रविष्टियां और क्षज्ञात क्रन्तरविध्ति		म्ननुमेलन की विभिष्टियां		
ं देखिए) स्पाप्त	नि रसीद मिस्त्री. ई॰ ए० र 	•••••• ⁹⁴⁴ एस₀ एस०/एम० वॉर० अन्तरविष्टियां औ र क्रज्ञात अन्तरविध्टियों की देशा	 ब्रायात/नियति	चि त् ग्रौ र संख्या		
धित्वयम (चिनियम ३ देखिए) मडीस पत्त स्यास	: (2) के प्राची 		≈∎ - - - -	पै कै जों का वर्णन		
	963 फ्रा 38) फौ चारा 42 (2) के म्राचीन स्सोद त सम्भाला गया स्वोरा त त के म्रधीन रहते हुए फलका सं के म्रधीन रहते हुए फलका सं	यो जाएका) या जाएका)		माफ किए गए स्थोरा		
	मेही पत्तन स्थास भवित्तियम, 1963 (1963 का 38) की बारा 42 (2 मैंगर्स	के बाह्य होरा पर स्थोरे का अनुमेलन के बाह्य द्वारा पर स्थोरे का अनुमेलन (यदि स्थोरे को कोई प्रत्यक्ष क्षति हुई हो तो यह बताया जाएगा) वाष्यपीत अभिकत्ती मैससै		साफ किए गए/ उठाए गए स्लिंग	मय	अभिकत्ता कि अनुमेलन लिपिक के हस्ताक्षर इत्ते वाष्पपोन अभिक त्ता/ पोत वा हक प्रतितिधि
	नियम, , । 	ति का ह त्यक्ष क्षति सर्त	र्ग की सं		का समय	लर्षिक कै स1/पोतब
	मही पत्तन स्वास म्रांबनियम, 1963 (1 मैंग संद्वार नौकाओं से/सोधे उतारा गया/लादा गय रोको बोचे टिप्पणी कै स्तम्भ में भ्रम्युक्ति इसके तोचे टिप्पणी कै स्तम्भ में भ्रम्युक्ति	के बाहा होरा पर स्थोरे का अनुमेलन (यदि स्थोरे को कोई प्रत्यक्ष क्षति हुई होत बाष्पपोत अभिकत्ता मैससै	फलकों में चल रही हुक्कों की स [°]	उतारे गए/बनाए गए स्लिंग		अभिकत्ता के अनुमेलन लिपिक के हस्ताक्षर इत्ते वाष्पपोन अभिकर्त्ता/पोतबाहरु प्र _ि
	ा पत्तत ः 'सं∘ संगोते हि संगोते हि	वास हा विस्वरिं मपति स्र	को में चल	स्विंग सं॰ सं॰		कित्तर्वि वाष्प्र्यो
	Fr fr 5 8	ਸ਼ੋ ਜ ੋ ⁽ ਹੂ ਜ	ਸ਼ਿ	म		

G.S.R. 36(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 27 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby fixes rupees one thousand and four hundred as the amount in the maximum of the pay scale (exclusive of allowances) for the purposes of the said clause.

[No. F. PGL-72/74]

K. SIVARAJ, Jt. Secy.

का० ति० झा० 36 (झ) -----केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 27 कं खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए, उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए एक हजार चार सौ भपये को रक्षम को वेत्तन-मान (मत्तों को छोड़कर) की अधिकलम रक्तम के रूप में नियन करती है।

[सं॰ फा॰ पी॰ जी॰ एल॰~72/74]

कै० शिवराज, संयुक्त सचित्र ।